

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 52/2018

Mulya

----Appellant

Versus

Radheyshyam Sharma Adn Anr

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Lokesh Kumar Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. M.M.Ranjan Sr. Adv. with Mr. Yashvardhan Tolani & Mr. Shubham Sharma

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/11/2025

प्रत्यर्थी/वादी/डिक्रीदार की ओर से प्रार्थना-पत्र संख्या 01/2024 पर सुना गया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जिस सम्पत्ति के विक्रय करार के सम्बन्ध में उनके पक्ष में संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु डिक्री पारित की गई है, उस पर पूर्व में पंजाब नेशनल बैंक से अपीलार्थी/प्रतिवादी ने ऋण ले रखा था जो प्रतिवादी ने चुका दिया परंतु उसके पश्चात् अपील के लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि की ओर से उसी जमीन को रहन रखकर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण ले लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाए कि वह ऋण राशि जमा करवाकर उसे रहन मुक्त करवाएं एवं अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

इसके विपरीत अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में इसी अनुतोष के लिए एक प्रार्थना-पत्र संख्या 01/2022 इस न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी/डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 08.08.2023 को उसके द्वारा प्रत्याहरित किया गया और न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, ऐसी स्थिति में पुनः उसी अनुतोष के लिए नया प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

प्रत्यर्थी/वादी/डिक्रीदार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कहा गया कि पूर्व प्रार्थना-पत्र मध्यवर्ती लाभ के बारे में था। ऋण भी अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा लिया गया है।

हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पूर्व में एक प्रार्थना-पत्र संख्या 01/2022 डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने अनुतोष-ए के रूप में यह प्रार्थना की थी कि—

A- The appellants may be directed to get redeem the property which has been mortgaged in Union Bank of India.

वर्तमान में लम्बित प्रार्थना-पत्र संख्या 01/2024 में उनकी ओर से जो प्रार्थना की गई है वह इस प्रकार है—

It is therefore prayed that your lordships may very graciously be pleased to accept this application and may be further pleased to direct the humble appellant that the loan taken from the Union Bank of India may be cleared and in case the fails to clear the entire dues, the interim order granted by this Hon'ble Court may kindly be vacated.

उक्त दोनों प्रार्थना-पत्रों को देखने से स्पष्ट है कि पूर्व में भी विवादित सम्पत्ति को ऋण जमा करवाया जाकर रहन मुक्त कराने की प्रार्थना की गई थी एवं वर्तमान लम्बित प्रार्थना-पत्र में भी ठीक वही प्रार्थना की गई है। यह अवश्य है कि पूर्व प्रार्थना-पत्र में इस अनुतोष के साथ अन्य अनुतोष भी चाहा गया था। पूर्व प्रार्थना-पत्र संख्या 01/2022 दिनांक 08.08.2023 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में समान अनुतोष के लिए प्रस्तुत किया गया यह दूसरा प्रार्थना-पत्र संख्या 01/2024 नहीं चल सकता है और इस कारण इसे भी निरस्त किया जाता है।

प्रार्थना-पत्र संख्या-02/2024 जो कि अपीलार्थी संख्या-1/4 जो कि मूल निर्णीत ऋणी की पुत्री है एवं अपील में निर्णीत ऋणी की मृत्यु के पश्चात् प्रतिस्थापित हुई है, की ओर से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रार्थना-पत्र में उसके द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि उसकी ओर से एकलपीठ इजराय प्रथम अपील

संख्या 01/2024 में जो आपत्तियां ली गई थीं, उन्हें उसे इस अपील में लेने की अनुमति दी जावे। उनका तर्क है कि अपीलार्थी 1/4 मीना की ओर से निष्पादन न्यायालय (Executing Court) के समक्ष आदेश 21 नियम 97 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आक्षेप प्रस्तुत किए गए थे जो दिनांक 08.09.2023 के आदेश द्वारा निरस्त किए गए थे। उक्त निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध उसकी ओर से एकलपीठ इजराय प्रथम अपील संख्या 01/2024 प्रस्तुत की गई है। इस अपील का निस्तारण करते हुए समक्ष पीठ द्वारा दिनांक 03.05.2024 को यह निर्देश दिए गए थे कि अपीलार्थी (मीना) इस अपील में उठाए गए सभी आक्षेप डिक्री के विरुद्ध की गई प्रथम अपील संख्या 52/2018 में उठाने के लिए स्वतंत्र है तथा इस आदेश के अनुसरण में ही उन्होंने यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है और समस्त आक्षेप उठाने की अनुमति चाही है।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र का विरोध किया। उनका तर्क है कि आदेश दिनांक 03.05.2024 उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया अब मूल अपीलार्थी/निर्णीत ऋणी के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि (1/4) के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी है और उसके समस्त अधिकार एवं दायित्व मूल निर्णीत ऋणी के अधिकारों के अनुरूप ही होंगे। ऐसी स्थिति में अब उसे अन्य आपत्तियां और आधार लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रार्थना-पत्र निरस्तनीय है, निरस्त किया जाए। उनका यह भी तर्क है कि एकलपीठ इजराय प्रथम अपील संख्या 01/2024 प्रार्थिया मीना द्वारा प्रत्याहरित की जा चुकी है और इसी आधार पर निरस्त हुई है।

हमने उभय पक्षकारों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

यह प्रार्थना-पत्र अपीलार्थी/मृतक मूल्या की पुत्री जो कि मृतक के स्थान पर 1/4 के रूप में प्रतिस्थापित हुई है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसी के द्वारा डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही के दौरान आदेश 21 नियम 90 व 97 सीपीसी की आपत्तियां प्रस्तुत की गई थीं जो निरस्त हुई और निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध उसके द्वारा एकलपीठ इजराय सिविल अपील संख्या 01/2024 प्रस्तुत की थी और न्यायालय ने उसे उक्त अपील प्रत्याहरित करने की अनुमति इस स्वतंत्रता के साथ प्रदान की कि अपील में उसके द्वारा उठाए गए सभी आधार वह डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत

प्रथम अपील संख्या 52/2018 में उठाने के लिए स्वतंत्र होगी। यह आदेश दिनांक 03.05.2024 को पारित किया गया है। यह सही है कि उक्त आदेश दिनांक 03.05.2024 राधेश्याम को सूचित किए बिना ही पारित किया गया है परंतु यह भी सत्य है कि यह आदेश की प्रति इस प्रार्थना-पत्र के साथ ही दिनांक 01.07.2024 को ही इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी थी और इसकी जानकारी भी उसी दिन प्रार्थना-पत्र की प्रति प्राप्त करने के कारण राधेश्याम को हो चुकी थी परंतु लगभग 17 महीने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही इस आदेश के विरुद्ध अथवा इसे चुनौती देते हुए राधेश्याम की ओर से नहीं की गई है तथा यह तथ्य उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में पूछे जाने पर स्वीकार भी किया है। आदेश दिनांक 03.05.2024 अंतिम हो चुका है और ऐसी स्थिति में इस आदेश के अनुसार मीना अपीलार्थी संख्या-1/4 को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि एकलपीठ इजराय दीवानी प्रथम अपील संख्या 01/2024 में जो भी आक्षेप/आधार उठाए गए हैं उन्हें इस अपील में भी उठाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी संख्या 1/4 का प्रार्थना-पत्र संख्या 02/2024 स्वीकार किया जाता है और उसे अपील संख्या एकलपीठ इजराय दीवानी प्रथम अपील संख्या 01/2024 में उठाई गई सभी आपत्तियों को इस अपील में भी उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(SHUBHA MEHTA),J